न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिरोही

बईजलास पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार, आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र संख्या 137 / 2017

प्रार्थीगण

1. प्रागाराम पुत्र नरसाजीं
2. जोगाराम पुत्र नरसाजी
3. दरगाराम पुत्र नरसाजी
4. हिदाराम पुत्र नरसाजी
5. अमराराम पुत्र वीराजी
6. वजाराम पुत्र वीराजी
7. रघुनाथराम पुत्र वीराजी
8. हकमाराम पुत्र केराराम
9. रगाराम पुत्र केराराम
10. नवाराम पुत्र खुमाजी
11. कानाराम पुत्र खुमाजी सर्व जातियान कलबी निवासियान तंवरी तहसील व जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. खेकीदेवी पत्नी नारायणजी जाति मेघवाल निवासी तंवरी तहसील व जिला सिरोही
2. हिदाराम पुत्र मगारामजी
3. देवाराम पुत्र मगारामजी
4. नारायण पुत्र मगारामजी
5. जमना पुत्री मगारामजी
6. कनकादेवी पत्नी मगारामजी
7. देवाराम पुत्र मगारामजी नाबालिग जरिये माता कनका देवी
8. नारायण पुत्र मगारामजी नाबालिग जरिये माता कनका देवी
9. धरमी पत्नी वीरारामजी
10. धनाराम पुत्र मोतीजी
11. चौथी पुत्री मोतीजी
12. नाजु पुत्री मोतीजी
13. कुपा पुत्री वगताजी के कायम मुकाम
    13/1 श्रीमती गवरी देवी पत्नी कुपाजी
    13/2 भगवानाराम पुत्र कुपाजी
    13/3 थानाराम पुत्र कुपाजी
    13/4 सजनादेवी पुत्री कुपाजी
    13/5 नावी देवी पुत्री कुपाजी
    13/6 कोकुपत्री कुपाजी सर्वजातियान कलबी निवासियान तंवरी तहसील व जिला सिरोही
14. लखमाराम पुत्र वेलाजी
15. कमाराम पुत्र वेलाजी
16. पुनाराम पुत्र वेलाजी
17. भूरी पुत्री वेलाजी
18. श्रीमती चमनी देवी पत्नी वेलाजी
19. गमनाराम पुत्र खुमाजी
20. वागाराम पुत्र लादाजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिरोही (राज०) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:55:57 IST
Reason: SelfAttested

21. मूलाराम पुत्र उकाजी
22. कसनाराम पुत्र उकाजी
23. कोकु पुत्री उकाजी
24. वनीदेवी पत्नी उकाजी सर्व जातियान कलबी निवासियान तंवरी तहसील व जिला सिरोही
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही

उपस्थित :–
1– श्री राजेन्द्र पुरी वकील प्रार्थी की ओर से
2– अप्रार्थी की ओर से श्री नगेन्द्र मेडतियॉ

रा.प्रा.अ.धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
के तहत वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने

निर्णय दिनांक 1–12–2020

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 के तहत विरूद्व खेकीदेवी वगैरह व स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने बाबत इस न्यायालय मे दिनांक 14–07–2017 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 25 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व ग्राम मौजा तंवरी पटवार क्षेत्र तंवरी तहसील सिरोही में आई हुई हैं जिसके खसरा नंबर 1291 से 1294 कुल किता 4 कुल रकबा 2.66 हैक्टेयर है कृषि आराजी आई हुई हैं। प्रार्थीगण के कृषि आराजी के लगते अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी की कृषि आराजी आई हुई हैं जिससे खसरा संख्या 1296 व 1296/1759, 1297 की कृषि आराजी आई हुई हैं। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 02 ता 25 अपनी खातेदारी की कृषि आराजी में आवागमन हेतु मुख्य रोड से अप्रार्थी संख्या 01 की कृषि आराजी खसरा नम्बर 1297 में से होकर उक्त रास्ता खसरा संख्या 1292 में जाकर मिलता है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण जो कदीमी रास्ता वर्षो पुराना आया हुआ हैं जो खसरा संख्या 1297 से आवागमन कर अपने खेत में जाने का एक मात्र रास्ता स्थित हैं जिसका अप्रार्थी संख्या 01 को भलीभांति ज्ञात है कि खसरा संख्या 1297 में से उक्त कदीमी रास्ते से होकर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण आवागमन करते हैं एवम् अपने बैल गाडी, ट्रेक्टर ट्रोली भी ले जाते है। खसरा संख्या 1297 के पूर्व खातेदार गंगराम पुत्र वरदाराम को भी इसकी भलीभाति जानकारी हैं जिन्होंने खसरा नम्बर 1297 की कृषि भुमि अप्रार्थी संख्या 01 को वर्ष 2007 में बेचान की थी एवम् एक मात्र रास्ता प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के खेत में जाने का रास्ता हैं एवम् खसरा नम्बर 1297 में से होकर आवागमन करते आ रहे हैं जो कदीमी रास्ता हैं जो संलग्न नजरी नक्शें में मार्क ए से बी दर्शाया गया है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 02 ता 25 को उक्त कदीमी रास्ता खसरा नम्बर 1297 में से होकर प्रार्थीगण की खातेदारी में जाता हैं उसे बन्द कर अवरूद्व कर प्रार्थीगण के आवागमन में बाधा, रूकावट कारित करने का अप्रार्थी संख्या 01 को कोई अधिकार नहीं हैं। लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 जो कदीमी रास्ता वर्षों पुराना हैं लेकिन राजस्व जमाबंदी में खसरा नम्बर 1297 वर्ष 2007 में अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा खरीद करने के पश्चात् पिछले 15 दिन से प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कृषि आराजी में आने जाने व अपने खेत में खडाई करने हेतु बैल गाडी व ट्रेक्टर ले जाने में बाधा कारित करते है। एवम् कदीमी रास्ते के उपयोग में बाधा कारित करते हैं चुकि राजस्व जमाबंदी में व नक्शे में रास्ता नहीं होने का गलत फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थी के आवागमन में बाधा, अवरोध कारित कर रहा है। ताकि अप्रार्थी संख्या 01 अपनी कृषि भुमि पर बुवाई नहीं कर सके।

प्रार्थना पत्र में आगे कथन किया है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 02 ता 25 अपनी कृषि भुमि पर अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी की कृषि भुमि के खसरा नम्बर 1297 में से होकर कदीम से करीब 03 फीट चौडाई में रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है जो जाति का गलत फायदा उठाकर प्रार्थीगण के आवागमन में बाधा, रूकावट करता रहता है। एवम् अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थीगण को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के झुठे

Signature Not Verified

Digitally signed by Harsmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:55:57 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमें में फसानें की धमकी देते हैं एवम् दिनांक 5.07.2017 को अप्रार्थी संख्या 01 ने उक्त कदीमी रास्ते को जेसीबी से खाई खोदकर काटों की बाड कर बन्द कर दिया है एवम् प्रार्थीगण द्वारा निवेदन करने के बावजूद भी नही मान रहा है एवम् प्रार्थीगण को अनुसुचित जाति अनुसूचित जनजाति के मुकदमें में फसाने की धमकी दे रहा है। एवम् उक्त रास्ता बन्द कर देने से प्रार्थीगण के मवेशी जो उनकी कृषि भुमि पर बंधे हुये है उनको भी चारा पानी में महरूम होना पड रहा है। जिससे मवेशियों की हालत दिनो दिन खराब हो रही है। एवम् प्रार्थीगण अपने खेत में खडाई भी नहीं कर पा रहे हैं जिससे प्रार्थीगण को नुकसान कारित हो रहा है। प्रार्थीगण द्वारा संलग्न गुगल नक्शें में भी कदीमी रास्ता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है जो मार्ग ए से बी दर्शाया हुआ हैं एवम् खसरा नम्बर 1297 जो राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शे में रास्ते की भूमि दर्ज नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 1297 में से प्रार्थीगण को अपने आवागमन हेतु एक मात्र रास्ता जो संलग्न नजरी नक्शें में रंगीन स्याही से मार्क ए से बी दर्शित किया है उक्त भुमि को रास्ते के रूप में प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग हेतु दिलाई जाना आवश्यक हो गया है ताकि प्रार्थीगण अपनी कृषि भुमि में बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि ले जा सके एवम् आवागमन भी कर सके। इस कारण 30 फीट चौडा रास्ता दिलाया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाना आवश्यक हो गया हैं एवम् जो भी नियमानुसार राशि होगी वो प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्याा 01 को अदा करने हेतु तैयार है एवम् विकल्प में निवेदन है कि नजरी नक्शे में अंकित रंबीन स्याही से अंकित मार्क ए से बी 30 फीट चौडाई में रास्ता देने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 सहमत नहीं होते हैं तो प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 1297 के लोर के किनारे किनारे होते हुए 30 चौडाई में संलग्न नजरी नक्शे में मार्क ए सी डी में होकर उक्त रास्ता आवागमन हेतु दिया जाकर उक्त रास्ता जमाबंदी व नक्शे मे अंकित किया जाना आवश्यक हैं एवम् उक्त भूमि को रास्ते की भूमि घोषित किया जाकर उस अनुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम किया जाना आवश्यक हैं चुकि प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ते के अलावा कोई रास्ता नही है। अप्रार्थी संख्या 02 ता 25 बाहर गांव होने से उनको अप्रार्थीगण बनाया है उनके विरूद्ध कोई रिलिफ नहीं चाही है बल्कि उक्त हित प्रार्थीगण के साथ जुडा हुआ है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की कृषि आराजी में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 1297 में से जो रंगीन स्याही से मार्क ए से बी अंकित किया है दिलाया जावे एवम् विकल्प में यह भी निवेदन है कि उक्त मार्क ए से बी मे रास्ता देने में न्यायालय उचित नहीं समझते है तो मार्क ए से सी में अंकित अनुसार रास्ता दिलाये जाने का आदेश पारित करना फरमावें एवम् जमाबंदी व नक्शे में रास्ता इन्द्राज करने बाबत् तहसीलदार सिरोही को निर्देशित करना फरमावे। उक्तानुसार प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के संलग्न मौजा तंवरी के खाता संख्या 193, 74, की जमाबंदी संवत 2071–2074, खाता संख्या 264 की जमाबंदी संवत 2052–2055, खाता संख्या 60 संवत 2063–2066 की जमाबंदी, नक्शा ट्रेस एवं गुगल मेप प्रस्तुत किया जिसका अवलोकन करने से प्रथम दृष्टया आश्वस्त होने से प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण व राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही को नोटिस जारी किया गया। दिनांक 8.9.2017 को प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वकील श्री नगेन्द्र मेडतियॉ द्वार वकालतनामा प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 9.3.2018 को न्यायालय में वकील श्री नवाज अमहद खान द्वारा अप्रार्थी संख्या 2,5,6,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25 की ओर से अलग अलग तीन वकालतनामें प्रस्तुत किये। अप्रार्थी संख्या 26 स्टेट जरिय तहसीलदार सिरोही द्वारा दिनांक 28.12. 2017 के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से दिनांक 29.10.2018 को जवाब प्रस्तुत किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 14 के कायम मुकाम की ओर से वकील श्री कैलाश नामा द्वारा वकालतनाम प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 17.7.2018 को वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 14 की मृत्यु होने पर उनके कायममुकाम को रिकार्ड पर लेने एवं अप्रार्थी संख्या 13 की मृत्यु होने पर उन्हे हटाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया जिसमें बाद जवाब व बहस के विचारण दिनांक 8.1.2019 को स्वीकार किया जाकर वकील प्रार्थी को संशोधित अनवान प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया। विचारण दिनांक 2.1.2019 को प्रकरण में संयुक्त मौका जॉच रिपोर्ट दिनांक 19.12.2018 प्रस्तुत की जिसे शामिल पत्रावली किया गया एवं वकील प्रार्थी को प्रति उपलब्ध करवाई गई।

दिनांक 16.1.2019 को न्यायालय में दौराने सुनवाई वकील अप्रार्थी गण द्वारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर वकील प्रार्थी व अप्रार्थी गण की सीधी बहस सुनी गई। जिसके उपरांत सुनवाई दिनांक 21.1.2019 को उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया गया एवं वकील प्रार्थी

Signature Not Verified

Digitally signed by Harsmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:55:57 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा प्रस्तुत संशोधित अनवान को शामिल पत्रावली किया गया। एवं पत्रावली अंतिम बहस के लिये दिनांक 29.1.2019 को नियत की गई। दिनांक 31.8.2020 पत्रावली पेश हुई। विचारण प्रकरण मे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 8.1.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी पेश होने से माननीय न्यायालय ने उक्त निगरानी संख्या 384/2019 खेकीदेवी बनाम प्रागाराम व निगरानी संख्या 380/2019 खेकीदेवी बनाम प्रागाराम में दिनांक 26.2.2020 को दोनों प्रकरणों में अलग अलग आदेश पारित करते हुये दोनो निगरानी खारिज करते हुये इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 8.1.2019 में कोई त्रूटि होना नहीं पाया गया है। अतएव पत्रावली पुनः अंतिम बहस के लिये दिनांक 9.11.2020 को प्रस्तुत हुई। नियत दिनांक को उभय पक्ष के बकुलाय द्वारा बहस करने से बहस सुनी गई।

स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 28.12.2017 में यह कथन किया गया है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 2 से 25 की संयुक्त खातेदारी में ग्राम तंवरी के खसरा नंबर 1283 से 1295 कुल किता 13 रकबा 9.79 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। ग्राम तंवरी की जमाबंदी संवत 2071–2074 खाता संख्या 74 के अनुसार खसरा नंबर 1296, 1296/1759, 1297 खेकीदेवी पत्नी नारायणजी जाति मेघवाल के नाम से खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थना पत्र में खसरा नंबर 1297 में रास्ता चाहा गया है। स्टेट के जवाब अनुसार ए से बी अनुसार रास्ता दिये जाने पर 164 गुना 4 कुल 656 वर्गमीटर भूमि रास्ते में शामिल होगी एवं यदि रास्ता एसीडी मार्ग से दिया जाता है तो 216 गुना 4 कुल 864 वर्गमीटर भूमि रास्ते में शामिल होने का उल्लेख किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 1 खेकी देवी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत जवाब दिनांक 29.10.2018 के अनुसार यह कथन किया है कि खसरा संख्या 1297 की आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी में होना स्वीकार है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 2 से 25 अपने खातेदारी की कृषि आराजी में खसरा संख्या 1297 की आराजी में आने जाने का कथन गलत होने से अस्वीकार है। पुरानी कदीमी से रास्ता होना अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 1 की उक्त आराजी में कभी रास्ता नहीं रहा है। मनगढंत व गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण के स्वयं की आराजी आम रास्ते पर स्थित है, उस आराजी में से प्रार्थीगण अपनी आराजी में आते जाते रहे है एवं वर्तमान में भी आते जाते है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 1 की आराजी पर अवैध कब्जा कर रखा है जिसे प्रार्थीगण द्वारा खाली नहीं किया जा रहा है। प्रार्थीगण की आराजी में से आने जाने हेतु तीन रास्ते मौके पर उपलब्ध है। अप्राथी संख्या 1 द्वारा जवाब के माध्यम से अंकित किया है कि श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमावे।

इस न्यायालय के पत्रांक स्पे.1 दिनांक 1.1.2019 के द्वारा वांछित संयुक्त मौका जॉच रिपोर्ट जो भूअ निरीक्षक तंवरी व पटवारी हल्का तंवरी द्वारा मौका फर्द दिनांक 19.12.2018 के संलग्न प्रस्तुत की है, के अनुसार ग्राम तंवरी के खसरा नंबर 1291,1292 वगैरहा की आराजी अनवान प्रागाराम वगैरह कलबी निवासी तंवरी की खातेदारी भूमि है जिसमें पहुॅचने हेतु नक्शे व मौके पर कोई रास्ता नही है। वैकल्पिक रूप से पडौसी के खेतों में से होकर आना जाना करते है। मौका निरीक्षण अनुसार व्यवहारिक व संतुलित प्रस्तावित रास्ता खसरा नंबर 1297/1758,1298 व 1297 में से निकालना प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित रास्ते बाबत मौके पर उपस्थित वादीगण, प्रतिवादियॉ व पडौसी प्रभावित काश्तकार श्री मानसिंह पुत्र जयसिंह राजपूत इत्यादि ने भी उचित बताया। रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ते की रकबा 880 वर्गमीटर अर्थात 0.0880 हैक्टेयर बताया है।

पत्रावली के संपूर्ण अवलोकन व अप्रार्थी संख्या 1 व स्टेट के जवाब के अवलोकन व उभय पक्षकारान के वकीलों के अंतिम बहस को सुनकर मनन किया गया। प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा मौजा तंवरी के खसरा नंबर 1291 से 1294 कुल किता 4 रकबा 2.66 हैक्टेयर भूमि जो उनकी खातेदारी में दर्ज है, में मुख्य रास्ता खसरा नंबर 1308 रकबा 0.35 हैक्टेयर किस्म रास्ता से आने जाने के लिये अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1297 में से रास्ता उपलब्ध कराये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। वकील प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया कि जो रास्ता चाहा है, उसके लिये राशि भरने को प्रार्थी तैयार है। कदीमी रास्ते को बंद कर दिया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान से खारिज की गई है। अतएव प्रार्थना पत्र में चाहे अनुसार रास्ता दिया जावे। वकील अप्रार्थी संख्या 1 के अनुसार खसरा नंबर 1297/1758 प्रार्थीगण के स्वयं के खातेदारी में दर्ज होने के उपरांत भी हमारी खातेदारी में से रास्ता मांगा जाना अनुचित है। प्रार्थीगण क्लीन हैण्ड से नहीं आये है बल्कि तथ्यों को छुपाते हुये गलत रूप से रास्ते की मांग उनके द्वारा की गई है। हमने राजस्व रिकार्ड व संयुक्त मौका जॉच रिपोर्ट दिनांक 22.10.2018 का अवलोकन व मनन किया। बहस व उक्त रिपोर्ट के अवलोकन व मनन से यह

Signature Not Verified

Digitally signed by Harsmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:55:57 IST
Reason: SelfAttested

स्पष्ट होता है कि मुख्य मार्ग खसरा नंबर 1308 पर प्रार्थीगण स्वयं की खातेदारी भूमि अवस्थित है जिसके खसरा नंबर 1297/1758 है। ऐसी स्थिति में खसरा नंबर 1308 से स्वयं की खातेदारी लगती हुई होने के बावजूद प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में से संपूर्ण रास्ता दो विकल्पों सहित चाहा गया है जिसे उचित नहीं कहा जा सकता एवं यह न्यायसंगत भी प्रतीत नही होता है। प्रार्थी द्वारा स्वयं इस तथ्य को अपने प्रार्थना पत्र में छुपाया है कि उनकी स्वयं की खातेदारी आराजी मुख्य मार्ग खसरा नंबर 1308 से लगती हुई है। अतएव प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क को हूबहू चाहे अनुसार स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन संयुक्त रिपोर्ट अनुसार यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी के खातेदारी खसरा नंबर 1291 से 1294 में जाने के लिये पूर्ण मार्ग या रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः यह उचित समझता हूँ कि निम्न अनुसार रास्ता स्वीकार किया जाये।

नाम ग्राम	खसरा नंबर	प्रस्तावित रास्ते की चौडाई	प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई	प्रस्तावित रास्ते का रकबा	खातेदार
तंवरी	1297	4 मीटर	120 मीटर	480 वर्गमीटर	अप्रार्थी संख्या 1 खेकीदेवी पत्नी नारायण जाति मेघवाल निवासी तंवरी

अतः उपरोक्त आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस आधार पर स्वीकार किया जाता है कि स्वयं की संयुक्त खातेदारी खसरा नंबर 1297/1758 से आगे अपने शेष खसरान 1291 से 1294 में आने जाने के लिये खसरा नंबर 1297 की खातेदारी में से रास्ता स्वीकृत करने के आदेश दिये जाते है। उक्त रास्ता खसरा नंबर 1297 में से 1298 की सीमा से लगते हुये 4 फीट चौडाई व 120 फीट लम्बाई में दर्ज करने की कार्यवाही की जावे। इस सम्बन्ध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत धारा 251 व 251(क) के तहत राजस्थान सरकार के श्रीमान संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प03(52) राज–6/4 दिनांक 14–6–2013 बाबत् भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के संबंध मे दिये गये प्रावधानों अनुसार उक्त रास्ते की स्वीकृत की गई भूमि के प्रतिकर की रकम निम्नलिखित रीति से अवधारित करने हेतु तहसीलदार सिरोही को आदेश दिये जाते हैः–

(क) राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरों या किसी नये मार्ग के खोलने या विधमान मार्ग के विस्तार या चौडा करने के मामले मे राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों का दुगुना और (ख) उपनियम (1) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन अवधारित भूमि के मुल्य के अतिरिक्त यदि खडे वृक्ष फसल या संरचनाओ को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान की रकम अवधारित की जायेगी ।

तहसीलदार, सिरोही द्वारा उक्त रास्ते की भूमि की नियमानुसार कीमत अवधारित कर कीमत की राशि प्रार्थीगण द्वारा तहसील कार्यालय सिरोही मे जमा करवाने व अप्रार्थी संख्या 1 को उपलब्ध करवाने पर तहसीलदार, सिरोही उपरोक्त सारणी में दर्शाये अनुसार रास्ते की भूमि राजस्व रेकर्ड मे किस्म गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता श्री सरकार बिलानाम खाते मे रखते हुये खातेदारी में से कम करते हुये दर्ज करने की कार्यवाही कर पालना सुनिश्चित करे। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही

निर्णय आज दिनांक 1–12–2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं गोल मोहर से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Harsmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:55:57 IST
Reason: SelfAttested